

28  
1.50 PM  
12-11-2020

प्ररूप 23  
(नियम 4 देखिये)  
नाम निर्देशन-पत्र



इलाहाबाद-झोंसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र  
परिषद निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के लिये निर्



भाग-1

हम ..... उत्तर प्रदेश ..... (राज्य) की विधान परिषद के निर्वाचन के लिये  
इलाहाबाद-झोंसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम उत्तम कुमार शर्मा

(पिता/माता/पति का नाम) शीतल दीन

उसका डाक पता ग्राम- सराय फतेही पोस्ट- धतरवापुर सौरभ प्रयागराज

उसका नाम 254- फाफागुरु विधान सभा/निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 326

में क्रम संख्या 645 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम इलाहाबाद-झोंसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली संख्या		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6
1	137/	177/	राधेश्याम कुशवाहा ✓	<i>Radha</i>	12-11-20
2	138/	204/	राज प्रकाश कुशवाहा ✓	<i>Raj</i>	12-11-2020
3	162/	11/	अनुराग कुमार ✓	<i>Anurag</i>	12-11-2020
4	167/	325/	शमराज पटेल ✓	<i>Shamraaj</i>	12-11-2020
5	149/	230/	राजेश कुशवाहा ✓	<i>Rajesh</i>	12-11-20
6	155/	24/	जीत कुशवाहा ✓	<i>Jeet</i>	12-11-2020
7	167/	415/	सुरजुमान ✓	<i>Surajuman</i>	12-11-2020
8	167/	420/	सुरेश सिंहा पटेल ✓	<i>Suresh</i>	12-11-2020
9	167/	186/	अद्वैत कुमार ✓	<i>Advait</i>	12-11-2020
10	167/	303/	राज प्रकाश ✓	<i>Raj Prakash</i>	12/11/2020

\* प्रस्थापक निर्वाचन क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिये।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है,
- (ख) मैंने ..... 43 ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है,
- (ग) मैं इस निर्वाचन में जन अधिकार पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ,
- (घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और
- (ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं, इलाहाबाद-झौंसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिये चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 12-11-2020

उत्तम कुमार शर्मा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर



भाग-2  
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -  
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या  
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,  
सिद्धदोष ठहराया गया है, या हां/नहीं ✓
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,  
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित  
किया गया है।

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) नामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ..... शून्य
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ..... शून्य जिला (जिले) ..... शून्य राज्य ..... शून्य
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ..... शून्य
- (iv) दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें) ..... शून्य
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ..... शून्य
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें ..... शून्य
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... शून्य
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गये थे : हाँ/नहीं
- (ix) फाइल की गयी अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां एवं तारीख ..... शून्य
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गये थे ..... शून्य
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं ..... शून्य
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... शून्य
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) ..... शून्य

- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है?  
.....नहीं.....(हां/नहीं)  
-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे.....शून्य.....
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ? .....शून्य.....(हां/नहीं)  
-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है .....शून्य.....
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषुक्ति के अधीन है ? .....नहीं.....(हां/नहीं)  
-यदि हां, ब्यौरे दीजिए.....नहीं.....
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है?  
.....नहीं.....(हां/नहीं)  
-यदि हां, निरहित किए जाने की अवधि.....शून्य.....
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अमवित्त के लिए पदच्युत किया गया है?.....नहीं.....(हां/नहीं)  
-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख.....शून्य.....
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा(संविदाएं) रखता है जिसमें(जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है?.....नहीं.....(हां/नहीं)  
-यदि हां, तो कौन सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा(ओं) के ब्यौरे.....शून्य.....
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अधिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है?.....नहीं.....(हां/नहीं)  
-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे.....नहीं.....
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है?.....नहीं.....(हां/नहीं)  
-यदि हां, निरहरन की तारीख.....शून्य....."

स्थान : सांली  
तारीख : 12-11-2020

उत्तमकुमार सांली  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर



भाग-3


(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या ..... 28 .....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय न्यायालय कक्ष, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी में .....

12-11-2020 (तारीख) को 1:50 PM (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक उत्तम कुमार शर्मा  
..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख ..... 12-11-2020 .....

  
रिटनिंग आफिसर

भाग-4

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :—

तारीख .....

रिटनिंग आफिसर

प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)

PHOTO ATTESTED



इलाहाबाद आसी खण्ड रजनातक

निर्वाचन क्षेत्र

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान परिषद उत्तर प्रदेश (राज्य का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा  
अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं उत्तम कुमार मोदी पुत्र/पुत्री/पत्नी शीतला देवी आयु 43 वर्ष, जो ग्राम सयम फतेहपुर, सोरभ, पुयागराज  
का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ,  
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- मैं जन अधिकार पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।  
(जो लागू न हो उसे काट दें)
- मेरा नाम 254 फा फामक उत्तर प्रदेश (निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 326 के क्रम सं. 645 पर प्रविष्ट है।
- मेरा/मेरे 6394111169 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं हैं/हैं और uttam.mamya607@gmail.com मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित हैं/हैं।  
(i) फेसबुक  
(ii) शून्य  
(iii) शून्य
- स्थाई खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पीएन (स्थाई खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूप में)
1.	स्वयं	BYTPK443D	शून्य	(i)
	शून्य	शून्य	शून्य	(ii)
	शून्य	शून्य	शून्य	(iii)



उत्तम कुमार मोदी



				(iv)
				(v)
2.	पति या पत्नी			(i)
	माया मोर्य	शून्य	शून्य	(ii)
		शून्य	शून्य	(iii)
		शून्य	शून्य	(iv)
		शून्य	शून्य	(v)
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अन्यथा कर्ता या सहायिक है)			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
4.	आश्रित - 1			(iii)
	कुंविभा मोर्या	बेटी	शून्य	(i)
		शून्य	शून्य	(ii)
		शून्य	शून्य	(iii)
		शून्य	शून्य	(iv)
		शून्य	शून्य	(v)
5.	आश्रित - 2			(i)
	अमश मोर्य	बेटा	शून्य	(ii)
		शून्य	शून्य	(iii)
		शून्य	शून्य	(iv)
		शून्य	शून्य	(v)
6.	आश्रित - 3			(i)
	आमन मोर्य	बेटा		(ii)
		शून्य	शून्य	(iii)
		शून्य	शून्य	(iv)
		शून्य	शून्य	(v)

टिप्पण : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आवश्यक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटित नहीं हुआ है"।

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।  
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिह्नानंकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:  
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प चिह्नानंकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिहास रिपोर्ट सं.	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	शून्य	शून्य	शून्य
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	शून्य	शून्य	शून्य
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य	शून्य	शून्य
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य

(6) दोषसिद्धि के मामले-

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।  
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिह्नानंकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

उत्तम कुमार शर्मा





- (ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है:  
 (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिह्नंकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	न्यायालय का नाम	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अंतर्वलित अतिनिचमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दे अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	शून्य	शून्य	शून्य
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है	शून्य	शून्य	शून्य
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें	शून्य	शून्य	शून्य
(च)	अधिरोपित दंड	शून्य	शून्य	शून्य
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उत्तर दें)	शून्य	शून्य	शून्य
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	शून्य	शून्य	शून्य

- (6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी संबन्धित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[एसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(ii) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]



उत्तर कुमार शर्मा

**टिप्पण:**

1. ब्यॉरि स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किए जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मंदा के सामने विभिन्न स्तरों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यॉरि पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यॉरि विलीन कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती हैं।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिव कानूनी (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपात में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और अजंगम आदि) के ब्यॉरि नीचे देता हूँ:

**अ. जंगम आस्तियों के ब्यॉरि :**

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यॉरि दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है(हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यॉरि प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

टिप्पण 6 - ब्यॉरि में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

**स्पष्टीकरण:-** इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" शब्द से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियाँ या विनिधानों के ब्यॉरि और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यॉरि अभिप्रेत हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वरु	पति या पत्नी	हिंदू अधिभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(1)	हाथ में नकदी	25000	5000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*उत्तरदायी*



**टिप्पण:**

1. ब्यॉर स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किए जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मंदा के सामने विभिन्न स्तरों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यॉर पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यॉर विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् न्यूनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती हैं।
5. अभ्यर्थी 2011 की दिव्य कानून (डिविज) सं. 536 से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सुचलने देने का उत्तरदायी होगा।

(7) में मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और अजंगम आदि) के ब्यॉर नीचे देता हूँ:

**अ. जंगम आस्तियों के ब्यॉर :**

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यॉर दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, आश्रित है(हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यॉर प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

टिप्पण 6 - ब्यॉरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

**स्पष्टीकरण,-** इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यॉर और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यॉर आश्रित हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभाक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	250000	5000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



*उत्तरदायी*



(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	2,26,000/- दो लाख दोषष्टीस हजार	7000/- सात हजार मात्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक लिखियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम			लागू	नहीं		
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम			लागू	नहीं		
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम			लागू	नहीं		
(vi)	मोटर यान वाहन/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जैवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दायों/हिल का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	सकल कुल मूल्य	302,000/-	18,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



उत्तर कुशाग्र



**ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे**

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3 - ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	भूमि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	शून्य	बीछा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	16विस्वा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	1/2 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	01-10-2013	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	10,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	28,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



शून्य  
उत्तर कुशल गौरी



(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -अवस्थिति (अवस्थितियां) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विससत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) -अवस्थिति (अवस्थितियां) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	हां ग्रामीण क्षेत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1050 वर्गमीटर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विससत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



उत्तर कुमार शर्मा



(vi)	पूर्विकत (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	5 लाख	28 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
------	---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों को शोध्यों के ब्यौर नीचे देता हूँ:-  
 (टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समस्त रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण.	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	पूर्विकत वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य	क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्षों के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं ? ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :- (i) सरकारी आवास का पता: ..... शून्य ..... ..... (ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मददे कोई शोध्य संदेय नहीं है- (क) भाटक; नाशु-ही (ख) विद्युत प्रभार; नाशु-ही (ग) जल प्रभार; और शून्य (घ) ..... (तारीख) को दलीफोन प्रभार [तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित					हां/नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प या सही का निशान लगाएं)	



उत्तर मकुगा/गौर



		किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए। टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।					
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		स्वयं	पति/पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iv)	आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	जीएसटी शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्बलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लेबिल है, उल्लेख करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(9) कृषि या उपजोविका के ब्यारे :  
 (क) स्वयं ..... कृषि  
 (ख) पति या पत्नी ..... कृषि

(9क) आय के स्रोतों के ब्यारे-  
 (क) स्वयं ..... कृषि  
 (ख) पति या पत्नी ..... कृषि  
 (ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों ..... शून्य  
 (9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं-  
 (क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यारे ..... शून्य  
 (ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यारे ..... शून्य  
 (ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यारे ..... शून्य

उत्तरकृता / गीत



- (घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यारे लागू नहीं
- (ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यारे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं लागू नहीं
- (च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यारे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हिस्सा हैं लागू नहीं

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

स्नातक (बी. ए.) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करती हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यारा दें)।

- ① हाई स्कूल                      यू.पी. बोर्ड                      1992
- ② इन्टरमीडिएट                      यू.पी. बोर्ड                      1994
- ③ स्नातक                                      इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1998  
इलाहाबाद



उत्तर गंगा गाँव

**भाग-ख**

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौतों का सारांश

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. उत्तम कुमार मोदी					
2.	डाक का पूरा पता	गाम-खराप फूले पो. अरामपुर					
3.	नियोजन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	तहसील सोरम जनपद-प्रयागराज 254 फाफामऊ विधान सभा उत्तरप्र					
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	जन अधिकार पार्टी					
5.	लंघित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	शून्य					
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषिद्ध ठहराया गया है।	शून्य					
7.	स्थायी लेखा सं. (पिन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है			कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	BYTPK4043D	शून्य			302000	
	(ख) पति या पत्नी		शून्य			2990000	
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	शून्य	शून्य			शून्य	
	(घ) आश्रित	शून्य	शून्य			शून्य	
8.	आस्तियाँ और दायित्वों (अपवाद आस्तियाँ सहित) के रूपों में ब्यौत-						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	लंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)			लगभग नष्ट			
ख.	स्थावर आस्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	i. स्वाजित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



उत्तम कुमार मोदी



III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत-							
(क)	स्वाजित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	302000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	2998000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व	शून्य	शून्य					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	शून्य		शून्य				
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)							

### सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसारी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इस से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

उत्तमकुमार गौतम

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

यह सत्यापित किया गया।

  
अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को अपराह्न 3:00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।

